प्रकरण क्रमांक आरसीएचएम–39/2023
<u>देवेन्द्र विरूद्ध राधाबाई</u>

22.08.2025 आवेदक देवेन्द्र अनुपस्थित। उसकी ओर से श्री मुकेश जाट, अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदिका अनुपस्थित।

प्रकरण आई ए नम्बर 02/2024 पर तर्क हेतु नियत है। आज प्रकरण सुलहवार्ता हेतु भी नियत किया गया था। किंतु आवेदक अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि दोनों पति–पत्नी साथ में निवास कर रहे हैं। उनको आज की पेशी तारीख की जानकारी दी गयी, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। अनावेदक की ओर से श्री बी.एल. मोदी, अधिवक्ता इस समय उपस्थित हुये, उनका भी कहना है कि उन्होंने भी आज आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु अवगत कराया था, लेकिन अनावेदिका उपस्थित नहीं हुयी है और ना ही कोई सूचना प्राप्त हुयी है।

आवेदक अधिवक्ता ने बताया कि फोन पर प्राप्त सूचना के आधार पर अब वह इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहते हैं। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार करते हुये, पक्षकारों की अनुपस्थिति में भी आगामी कार्यवाही जारी रखा जाना उचित परिलक्षित नहीं होता है। अतः विचारोपरांत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

SUKHRAM SEENAM
Digitally signed by SUKHRAM SEENAM
Date: 2025.08.22 15:46:54 +0300

एस.आर.सीनम
द्वितीय जिला न्यायाधीश,
बागली, जिला–देवास,(म0प्र0)